बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक .... /पटना, दिनांक– ....
06/पणन(स0)–54/2025

सेवा में,

महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰),
बिहार, पटना।

विषय :– बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत प्रखंड स्तर पर गठित प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति (PVCS) में तरकारी आउटलेट संरचना निर्माण करने हेतु कुल 200 PVCS के लिए प्रति PVCS रू0 7,44,000/– की दर से कुल राशि रू0 14,88,00,000/– की स्वीकृति के विरूद्ध ऋण मद में स्वीकृत 25 प्रतिशत राशि अर्थात रू0 3,72,00,000/– (तीन करोड़ बहत्तर लाख) का वित्तीय वर्ष 2025–26 में निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत प्रखंड स्तर पर गठित प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति (PVCS) में तरकारी आउटलेट संरचना निर्माण करने हेतु कुल 200 PVCS के लिए प्रति PVCS रू0 7,44,000/– की दर से कुल राशि रू0 14,88,00,000/– की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्योदश संख्या 83 दिनांक 14.05.2025 एवं शुद्धि पत्र संख्या 2571 दिनांक 29.05.2025 द्वारा प्रदान की गयी थी, परंतु ऋण मद का शीर्ष खोलने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने एवं प्रथम अनुपूरक से ऋण मद की राशि अप्राप्त रहने के कारण उक्त मद में राशि की निकासी नहीं की जा सकी।

सम्प्रति ऋण मद का शीर्ष खुलने एवं प्रथम अनुपूरक से ऋण एवं अग्रिम मद में राशि का प्रावधान किये जाने के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 83 दिनांक 14.05.2025 की कंडिका–2 के अनुसार उक्त स्वीकृत्यादेश की कुल राशि का 25 प्रतिशत(ऋण एवं अग्रिम मद के रूप में) अर्थात राशि रू0 3,72,00,000/– (तीन करोड़ बहत्तर लाख) मात्र का वित्तीय वर्ष 2025–26 में निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में ऋण एवं अग्रिम मद की स्वीकृत राशि रू0 3,72,00,000/– (तीन करोड़ बहत्तर लाख) मांग संख्या–09, मुख्य शीर्ष–6425 सहकारिता के लिए कर्ज, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–108 अन्य सहकारी समितियों को कर्ज, उप शीर्ष–0120 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष–55 ऋण एवं अग्रिम, विषय शीर्ष–01 ऋण एवं अग्रिम, विपत्र कोड–09–6425001080120 अंतर्गत विकलनीय होगी।

3. PVCS को सरकारी ऋण के रूप में उपलब्ध करायी गयी राशि की वसूली के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का दायित्व बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन का होगा, जिसके अनुसार ऋण वसूली की पूर्ण जिम्मेदारी बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि० का होगा।

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे जो उपलब्ध आवंटन के अंतर्गत राशि की निकासी कर बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि॰, पटना के खाते में स्थानांतरित करेंगे। इसके लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

5. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–06/पणन(स0)–54/2025 के पृष्ठ संख्या 16/टि0 पर दिनांक– 31.07.2025 को प्राप्त है।

6. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या– 06/पणन(स0)–54/2025 के पृष्ठ संख्या 17/टि0 पर दिनांक– 31.07.2025 को प्राप्त है।

ह0/–
(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 275 /पटना, दिनांक 01/08/2025
06/पणन(स0)–54/2025

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफे के साथ।
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा, बिहार, पटना)/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि0, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव/निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–03 (बजट) सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विपत्र लिपिक कार्यालय निबंधक स0स0, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

01.08.2025

01.08.25
सरकार के अपर सचिव।